प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 02.01.2026

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थ से अर्जित ₹37.68 लाख की अवैध संपत्ति जब्त-

शासन की मंशा के अनुरूप अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में प्रभावी कार्यवाही करते हुए मादक पदार्थों से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई।

उक्त क्रम में श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जनपद सोनभद्र द्वारा वाद संख्या D202516660002283/2025 के माध्यम से अभियुक्ता माया उर्फ सुनीता पत्नी स्व0 शिव प्रसाद, निवासी कस्बा शाहगंज, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र, तथा वाद संख्या D 202516660002284/2025 के माध्यम से अभियुक्ता आशा देवी पत्नी शियाशंकर, निवासी राजपुर रोड, कस्बा शाहगंज, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र, द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित दोनों अभियुक्ताओं की मकान रूपी अचल संपत्तियों को संबंधित मु0अ0सं0 57/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट, थाना शाहगंज, जनपद सोनभद्र के अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट में जब्त किया गया।

जब्त की गई संपत्तियों का विवरण निम्नवत है—

01.अभियुक्ता माया उर्फ सुनीता की संपत्ति — अनुमानित मूल्य ₹21.18 लाख
02.अभियुक्ता आशा देवी की संपत्ति — अनुमानित मूल्य ₹16.50 लाख
इस प्रकार कुल ₹37.68 लाख की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की गई।

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण करने वाली टीम-

श्री विदित तिवारी — नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट, तहसील घोरावल, सोनभद्र
निरीक्षक श्री राजेश सरोज — प्रभारी निरीक्षक, थाना शाहगंज, सोनभद्र
निरीक्षक श्री स्वतंत्र कुमार सिंह — अपराध शाखा, सोनभद्र
उ0नि0 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव — चौकी प्रभारी, कस्बा शाहगंज, थाना शाहगंज
उ0नि0 श्री शकील अहमद — थाना शाहगंज, सोनभद्र
उ0नि0 श्री काशीनाथ यादव — थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र
उ0नि0 श्री बलिराम प्रसाद — थाना घोरावल, सोनभद्र
उ0नि0 श्री सन्तकुमार मिश्रा — थाना करमा, सोनभद्र
उ0नि0 श्री परवेज खाँ — थाना पन्नूगंज, सोनभद्र
थाना शाहगंज, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, पन्नूगंज व रायपुर के महिला पुलिसकर्मी/मुख्य आरक्षी/आरक्षीगण

उक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा तथा जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।